

vuyXud&1

fn'kk&fun&k ka vksj uhfr; ka dh rnyuk ¼i gk 2-1 ea l nHkr½

Ø- l a	eqs	fn'kk&fun&k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
	1- ikl fxrk				
1.	ikl fxdrk	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सभी मेजर पोर्ट ट्रस्ट 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मुंबई और कोलकाता को छोड़कर सभी प्रमुख बंदरगाहं ❖ बीओटी परियोजनाएं जिसके लिए पहले से ही अलग दिशा-निर्देश मौजूद हैं के लिए लागू नहीं 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कांडला पोर्ट ट्रस्ट के गांधीधाम टारुनशिप से संबंधित भूमि छोड़कर सभी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट और एंनोर बंदरगाह। ❖ बीओटी परियोजनाओं पर लागू 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कांडला, मुंबई और कोलकाता पत्तनों के टारुनशिप क्षेत्रों से संबंधित भूमि छोड़कर सभी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट और कामराजार पोर्ट लिमिटेड (एन्नोर पोर्ट लिमिटेड)
	2- Hkfe mi ; ksx ; kst uk				
2 (ए)	dojst vofek	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह 30 वर्षों की अवधि हेतु संभावित भूमि उपयोग योजना बनाती है और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को अग्रेषित करती है। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह पर भूमि उपयोग योजना होगी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी तथा एक प्रति भारत सरकार को अग्रेषित की जाएगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह उनके अधीनस्थ/ प्रबंधित सारी भूमि को कवर करते हुए एक भूमि उपयोग योजना होगी। ऐसी योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी तथा एक प्रति भारत सरकार को अग्रेषित की जाएगी।
2 (बी)	i pjjh{k.k grq vofek	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन के साथ प्रत्येक पांच वर्ष के बाद या जब भी आवश्यक भूमि उपयोग योजना का पुनरीक्षण किया जाना होता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पुनरीक्षण हेतु अवधि बताई नहीं गई थी। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पुनरीक्षण हेतु अवधि बताई नहीं गई थी। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ भूमि उपयोग योजना का प्रत्येक पांच वर्ष में पुनरीक्षण किया जाना था।
2 (सी)	vf're : i fn; s tkus dh dk; l i) fr	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विनिर्दिष्ट नहीं 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ विनिर्दिष्ट नहीं 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ किसी भी भूमि उपयोग के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव योजना विभिन्न पणधारकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ किसी भी भूमि उपयोग के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव योजना विभिन्न पणधारकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

Ø- I a	eḡs	fn'kk&funḡk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
	3- Hkife vkca/u %dLve ckM {ks= ds vUnj ½				
3 (ए)(i)	vkca/u dh i djk ½½ ¼ kekU; ½	❖ भूमि पट्टे पर आबंटित की जा सकती थी।	❖ नये आबंटन 11 केवल महीने की अधिकतम अवधि के लिए ही लाइसेंस आधार पर किये जा सकते हैं।	❖ नये आबंटन केवल लाइसेंस आधार पर अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए किये जा सकते हैं।	❖ नये आबंटन केवल लाइसेंस आधार पर अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए किये जा सकते हैं।
3 (ए)(ii)	vkca/u dh i djk ½i½ LFkbbz I ḡpkukvka grq	❖ चूंकि नीति में इस उद्देश्य के लिए आबंटन के प्रति कुछ विनिर्दिष्ट नहीं किया गया, यह बिना किसी रुकावट के लिया जाना था।	❖ आबंटन लाइसेंस आधार पर 11 महीने की छोटी अवधि के लिए किये जा सकते थे। चूंकि नीति में इस उद्देश्य के लिए आबंटन के प्रति कुछ विनिर्दिष्ट नहीं किया गया।	❖ आबंटन लाइसेंस आधार पर 11 महीने की छोटी अवधि के लिए किये जा सकते थे। स्थाई संरचनाओं के लिए भूमि आबंटन स्वीकृत नहीं था।	❖ स्थाई संरचनाओं के लिए भूमि आबंटन स्वीकृत नहीं था। जहां भूमि नीति दिशा-निर्देश 2004 से पहले पट्टाधारक ने स्थाई संरचनाएं निर्मित कीं मौजूदा पट्टाधारक एच1 के साथ मिलान के लिए सहमत होने चाहिए। अन्यथा, मौजूदा पट्टाधारक द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों को परस्पर सहमत मूल्यदाता द्वारा मूल्यांकित किया जाना चाहिए और इस प्रकार आकलित मूल्य सफल बोलीदाता से वसूला जाएगा तथा मौजूदा पट्टाधारक को दिया जाएगा।
3 (ए)(iii)	vkca/u ds i djk ½iii½ vLFkbbz I ḡpkukvka grq	❖ कोई अलग नीति नहीं	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ अध्यक्ष 10 वर्षों के तक पट्टे आधार पर मध्यम अवधि के लिए आबंटित कर सकती है।	❖ विनिर्दिष्ट नहीं
3 (ए)(iv)	cnj xkg I pkyu ¼ kḡd eḡā 'kkW I ā ḡk.k dæ vkfn½ I s I æfekr egRo i w kḡ xfrfofek; ka ds fy, vkca/u ds i djk	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ लाइसेंस आधार पर 11 महीने से अधिक नहीं	❖ लाइसेंस आधार पर परंतु लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

Ø- I a	ejs	fn'kk&fun'k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
3 (बी)(i)	vkcà/u dk <æ fufonk }kjk	❖ ढंग विनिर्दिष्ट नहीं था।	❖ अध्यक्ष अपने विवेक से निविदाएं आमंत्रित कर लाइसेंस पर भी भूमि दे सकता है।	❖ अध्यक्ष अपने विवेक से निविदाएं आमंत्रित कर लाइसेंस पर भी भूमि दे सकता है।	❖ जहां भी संभव हो, प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करके आबंटन किया जाना चाहिए। ❖ जहां निविदा-सह-निलामी संभव नहीं थी, निविदा-सह-निलामी के बिना अपवाद के रूप में जाकर आबंटन किया जा सकता था।
3 (बी)(ii)	vkcà/u dk <æ ukekàdu }kjk	❖ ढंग विनिर्दिष्ट नहीं था।	❖ ढंग विनिर्दिष्ट नहीं था।	❖ 10 वर्षों तक मध्यम अवधि के लिए पट्टे का आबंटन निविदा या कैप्टिव उपयोग आधार पर किया जा सकता था।	❖ निविदा-सह-निलामी कार्यपद्धति का सहारा लिये बिना आबंटन अपवाद के रूप में किया जाना चाहिए। ❖ गतिविधियाँ जो पत्तन संचालनों/सहायक पत्तन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो, के लिए सीपीएसयूज/ एसपीएसयूज के आधार पर नामांकन पर भूमि आबंटित की जा सकती है।
3 (सी)	vkcà/u dk m's ;	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ केवल पत्तन गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित गतिविधियों के लिए।	❖ केवल पत्तन संचालनों संबंधित गतिविधियों के लिए और पत्तन संचालन सहायक गतिविधियों के लिए।	❖ पत्तन संचालनों या सहायक पत्तन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु।
3 (डी)	ykbl d ka dk uohdj .k	❖ लाइसेंस अवधारणा विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण आरंभ नहीं की गई थी।	❖ प्रत्येक नवीकरण एक नये लाइसेंस के रूप में लिया जाना चाहिए।	❖ प्रत्येक नवीकरण एक नये लाइसेंस के रूप में लिया जाना चाहिए।	❖ कोई नवीकरण खंड उपलब्ध नहीं है।
3 (ई)	ekstink i VVs dk uohdj .k	❖ पट्टे अनुबंधों में स्वतः नवीकरण धारा नहीं होगी।	❖ यदि पट्टा समझौता स्वतः नवीकरण उपलब्ध कराता है, नवीकरण किया जा सकता। ❖ अन्यथा नये आबंटन हेतु प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।	❖ यदि पट्टा समझौता स्वतः नवीकरण उपलब्ध कराता है, नवीकरण एसओआर या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर किया जा सकता था। ❖ अन्यथा मौजूदा पट्टा धारक की मनाही को पहले अधिकार को देते हुए नये आबंटन हेतु प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। मौजूदा पट्टा धारक एच1 से सहमत होना चाहिए।	❖ यदि पट्टा समझौता स्वतः नवीकरण उपलब्ध कराता है, नवीकरण अधिसूचित अद्यतित बाजार मूल्य पर किया जा सकता था। ❖ अन्यथा मौजूदा पट्टा धारक की मनाही के पहले अधिकार को देते हुए नये आबंटन हेतु प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। मौजूदा पट्टा धारक एच1 से सहमत होना चाहिए।

Ø- I a	ed s	fn'kk&fun k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
3 (एफ)	vurks uohdj.k dh I a; k	❖ बोर्ड 30 वर्षों तक नवीकरण कर सकता था और 30 वर्षों से अधिक परन्तु 99 वर्षों तक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।	❖ बोर्ड 30 वर्षों तक नवीकरण कर सकता था और 30 वर्षों से अधिक परन्तु 99 वर्षों तक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।	❖ हालांकि, अध्यक्ष द्वारा लाइसेंस का दोबारा नवीकरण किया जा सकता है। ❖ इसके अतिरिक्त बोर्ड 30 वर्षों तक नवीकरण कर सकता था। ❖ 30 वर्षों से अधिक परन्तु 99 वर्षों तक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।	❖ स्वतः नवीकरण खंड के साथ न उपलब्ध पट्टों के मामलों में नये पट्टों के लिए लागू प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ❖ स्वतः नवीकरण खंड के साथ उपलब्ध पट्टे के मामलों में, बोर्ड 30 वर्षों तक नवीकरण कर सकता था और सशक्त समिति द्वारा 30 वर्षों से अधिक परन्तु 99 वर्षों तक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।
3 (जी)	i ujh{k.k dh vofekdrk	❖ बंदरगाह के पास प्रत्येक पांच वर्ष में पट्टा किराये के आधार पर पुनः निर्धारण के लिए विकल्प है।	❖ बंदरगाह के पास प्रत्येक पांच वर्ष में पट्टा किराये के आधार पर पुनः निर्धारण के लिए विकल्प है।	❖ बंदरगाह के पास प्रत्येक पांच वर्ष में पट्टा किराये के आधार पर पुनः निर्धारण के लिए विकल्प है।	❖ अवधि विनिर्दिष्ट नहीं थी।
3 (एच)	I g {kk mik;	❖ पट्टाधारक को पत्तन को प्रत्येक वर्ष पट्टा किराये के समान प्रीमियम अदा करना होगा।	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ विनिर्दिष्ट नहीं
3 (आई)	fdjk; s ij mBkuk	❖ बंदरगाह के पूर्व अनुमोदन के बिना किराये पर लेने या सुपुर्दगी के मामले में, पट्टा निरस्त हो सकता है।	❖ वही	❖ वही	❖ वही
3 (जे)	ykw i Vvk fdjk; k	❖ दर मापक्रम (एसओआर) के अनुसार पट्टा किराया प्रभारित करना पड़ेगा।	❖ दर मापक्रम (एसओआर) के अनुसार पट्टा किराया प्रभारित करना पड़ेगा।	❖ दर मापक्रम (एसओआर) के अनुसार पट्टा किराया प्रभारित करना पड़ेगा।	❖ दर मापक्रम (एसओआर) के अनुसार पट्टा किराया प्रभारित करना पड़ेगा।
4- Hkfe dk vkã/u&%dLVe cNM {ks= I s ckgj ½					
4 (ए)	vkã/u ds izdkj	❖ आबंटन पट्टे पर किया जाएगा	❖ आबंटन या तो लाइसेंस या पट्टा आधार पर किया जा सकता है।	❖ आबंटन या तो लाइसेंस या पट्टा आधार पर किया जा सकता है।	❖ सामान्यतः भूमि केवल पट्टा आधार पर आबंटित की जाएगी। यद्यपि, लेखांकित कारणों के बाद केवल लाइसेंस आधार पर बंदरगाह संबंधित गतिविधियों के लिए लाइसेंस आधार पर भूमि दी जा सकती है।

Ø- l a	eqs	fn'kk&fun&k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
4 (बी)	vkca/u dh i) fr	❖ कोई प्रतिबंध विनिर्दिष्ट नहीं।	❖ एसओआर पर नामांकन आधार पर बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी विभागों/सीपीएसयूज/एसपीएसयूज को आबंटन किया जा सकता है। ❖ हालांकि निजी पार्टियों के साथ सीपीएसयूज/एसपीएसयूज द्वारा संयुक्त उद्यम नामांकन पद्धति द्वारा आबंटन हेतु योग्य नहीं थे।	❖ एसओआर पर नामांकन आधार पर बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी विभागों/सीपीएसयूज/एसपीएसयूज को आबंटन किया जा सकता है। ❖ हालांकि निजी पार्टियों के साथ सीपीएसयूज/एसपीएसयूज द्वारा संयुक्त उद्यम नामांकन पद्धति द्वारा आबंटन हेतु योग्य नहीं थे।	❖ नामांकन बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों/सरकारी विभागों/स्थानीय सांविधिक निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों/राज्य या केंद्रीय मंत्रालयों/सीपीएसयूज/एसपीएसयूज /राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अधीन स्वायत्त संगठन जैसे-पुलिस, सीआईएसएफ, तटरक्षक बल और नौ सेना को किया जा सकता है। ❖ हालांकि निजी पार्टियों के साथ सीपीएसयूज /एसपीएसयूज द्वारा संयुक्त उद्यम नामांकन पद्धति द्वारा आबंटन हेतु योग्य थे, बशर्ते कि सीपीएसयूज/एसपीएसयूज/राज्य प्राधिकरण मुख्य प्रवर्तक हों और सबसे ज्यादा शेयर धारक हों।
4 (सी)	vkca/u dk ml's ;	❖ विनिर्दिष्ट नहीं।	❖ बंदरगाह संबंधी और गैर-बंदरगाह संबंधी उद्देश्य के बीच अंतर नहीं	❖ बंदरगाह संबंधी और गैर-बंदरगाह संबंधी उद्देश्य के बीच अंतर नहीं ❖ बंदरगाह संबंधी और गैर-बंदरगाह संबंधी उद्देश्यों के लिए भूमि आबंटित की जा सकती है।	❖ सामान्यतः भूमि केवल पट्टा आधार पर आबंटित की जाएगी। हालांकि कारण दर्ज करते हुए केवल लाइसेंस के आधार पर बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए लाइसेंस के आधार पर भूमि दी जा सकती है।
4 (डी)	ykbl d dk uohuhdj .k	❖ लाइसेंस के आधार पर आबंटन की धारणा को उस समय लागू नहीं किया गया। अतः कोई विशेष निर्देश उपलब्ध नहीं था।	❖ कोई विशेष दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं था।	❖ लाइसेंस नवीनीकरण उन्ही शर्तों एवं निर्बंधनों पर लागू होगा जैसा कि कस्टम बांड क्षेत्र के अंदर की भूमि के मामले में लागू है।	❖ लाइसेंस नवीनीकरण उन्ही शर्तों एवं निर्बंधनों पर लागू होगा जैसा कि कस्टम बांड क्षेत्र के अंदर की भूमि के मामले में लागू है।

Ø- I a	ed s	fn'kk&funxk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
4 (ई)	i VVs uohuhdj .k	❖ पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण खण्ड नहीं होगा।	❖ यदि बंदरगाह को अपने उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता हो, पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण के प्रावधान के बावजूद बंदरगाह भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ❖ यदि पत्तन को अपने उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता न हो, और पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान हो तो ऐसा किया जा सकता है। ❖ जहां बंदरगाह को भूमि की आवश्यकता न हो और पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान न हो, बंदरगाह अपने विवेकानुसार निविदाकरण प्रक्रिया का सहारा लिए बिना मौजूदा लाइसेंसधारक को नया पट्टा दे सकता है।	❖ यदि बंदरगाह को अपने उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता हो, पट्टा करार में स्वचालित नवीनीकरण के प्रावधान के बावजूद, एसओआर अथवा बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर नवीनीकरण किया जा सकता है। ❖ अन्यथा नए आबंटन की प्रक्रिया मौजूदा लाइसेंस धारक को मना करने के प्रथम अधिकार के बाद अपनायी जाए। मौजूदा लाइसेंस धारक को एसओआर अथवा बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर सहमत होना चाहिये।	❖ इस नीति के शुरू होने के पश्चात किए गए पट्टा करारों में कोई नवीनीकरण खण्ड शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ❖ मौजूदा पट्टे के मामले में यदि पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान हो तो अधिसूचित अद्यतित बाजार मूल्य पर नवीनीकरण किया जा सकता है। ❖ अन्यथा नए आबंटन की प्रक्रिया मौजूदा लाइसेंस धारक को मना करने के प्रथम अधिकार के बाद अपनायी जाए। मौजूदा लाइसेंसधारक को एच1 पर सहमत होना चाहिए।
4 (एफ)	vuer uohuhdj .k dh I a; k	❖ 30 वर्षों तक का पट्टाकरण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात। ❖ 30 वर्षों से ऊपर और 99 वर्षों तक मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से।	❖ 30 वर्षों तक का पट्टाकरण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात। ❖ 30 वर्षों से ऊपर और 99 वर्षों तक मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से।	❖ 30 वर्षों तक का पट्टाकरण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात। 30 वर्षों से ऊपर और 99 वर्षों तक मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से।	❖ 30 वर्षों तक पट्टाकरण बोर्ड की अनुमोदन से। 30 वर्षों से 99 वर्षों तक का पट्टे की मंत्रालय की अनुमति हेतु बंदरगाह न्यास बोर्ड द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।

Ø- I a	eqs	fn'kk&fun&k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
4 (जी)	❖ 30 o"kk ds ckn uohudj .k r#	❖ मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।	❖ मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।	❖ 30 वर्षों से 99 वर्षों तक के नए पट्टे के मामले सक्षम समिति के विचारार्थ मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए जिसमें सचिव (जहाजरानी), एएस एण्ड एफ, (जहाजरानी), आर्थिक मामले विभाग का एक प्रतिनिधि और योजना आयोग का एक प्रतिनिधि होता है।	❖ सक्षम समिति जिसमें एएस एण्ड एफए (जहाजरानी), संयुक्त सचिव (जहाजरानी) और आर्थिक मामला विभाग के संयुक्त सचिव तथा नीति आयोग का संबंधित सलाहकार होता है, वह मंत्रालय के अनुमोदन के विषयगत 30 वर्ष से 99 वर्षों तक के पट्टों का नवीनीकरण करेगा।
4 (एच)	ukeadu vkekj ij vkawu	❖ किसी विशेष पद्धति की व्याख्या नहीं की गई	❖ सरकारी विभागों/सीपीएसयूज/एसपीएसयूज को छोड़कर निविदा द्वारा आबंटन।	❖ सरकारी विभागों/सीपीएसयूज/एसपीएसयूज को आबंटन बोर्ड के अनुमोदन से और अन्य मामलों में मंत्रालय के अनुमोदन से।	<p>❖ सरकारी विभागों/सीपीएसयूज/एसपीएसयूज को छोड़कर निविदा द्वारा आबंटन।</p> <p>❖ नामांकन द्वारा बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों/सरकारी विभागों/स्थानीय सांविधिक निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों/राज्य या केंद्रीय मंत्रालयों/सीपीएसयूज/एसपीएसयूज/राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अधीन स्वायत्त संगठन जैसे-पुलिस, सीआईएसएफ, तटरक्षक बल और नौ सेना को आबंटन।</p> <p>❖ सरकारी कॉलेजों/स्कूलों को 75 प्रतिशत तक रियायत दी जा सकती है और बंदरगाह के कार्यचालन (कस्टम, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा संचालन) के लिए आवश्यक सरकारी विभागों और अन्य विभागों/सीपीएसयूज/एसपीएसयूज को 50 प्रतिशत तक वार्षिक पट्टा किराये पर विचार किया जा सकता है।</p>

Ø- I a	eŋs	fn'kk&funŋk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
					❖ हालांकि यदि पट्टे वाली भूमि का वह उपयोग न किए जाने के मामले में जिसके लिए उसे पट्टे पर दिया गया था, स्थानान्तर/पुनः किराए पर और उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी। बंदरगाह को पट्टा समाप्त कर देना चाहिए तथा आवंटित भूमि वापस ले लेनी चाहिए।
5- iVv@ykbI d vkëkj ij Hkfe ds vkoà/u ds vU; fu; e , oa 'krŋ					
5 (क)	mi iVvŋkj h	❖ पट्टाधारी बंदरगाह की स्वीकृति से उपपट्टा/आंशिक रूप से उपपट्टा कर सकता था। अन्यथा पट्टा रद्द करने के अधीन था।	❖ पट्टाधारी बंदरगाह की स्वीकृति से उपपट्टा /आंशिक रूप से उपपट्टा कर सकता था। अन्यथा पट्टा रद्द करने के अधीन था।	❖ पट्टाधारी बंदरगाह की स्वीकृति से उपपट्टा /आंशिक रूप से उपपट्टा कर सकता था। अन्यथा पट्टा रद्द करने के अधीन था।	❖ वर्तमान पट्टाधारी पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के लिए उप-पट्टाधारी से मूल पट्टाधारी द्वारा प्रभारित किराए का 50 प्रतिशत वसूल करने के पश्चात बंदरगाह की स्वीकृति से उपपट्टा /आंशिक रूप से उपपट्टा कर सकता था ❖ हालांकि, जहां इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के पश्चात पट्टे किए गए वहां पट्टे को उनके द्वारा आवश्यक न होने वाले परिसरो को सौंपना चाहिए तथा किसी उपपट्टे को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।
5 (ख)	mi ; kx ifjorU	❖ उपयोग में परिवर्तन को नए उपयोग हेतु लागू दरों के परिवर्तन के लिए स्वीकृति देने के अधीन मंजूरी दी गई।	❖ उपयोग में परिवर्तन को नए उपयोग हेतु लागू दरों के परिवर्तन के लिए स्वीकृति देने के अधीन मंजूरी दी गई।	❖ उपयोग में परिवर्तन को नए उपयोग हेतु लागू दरों के परिवर्तन के लिए स्वीकृति देने के अधीन मंजूरी दी गई।	❖ निर्दिष्ट नहीं।
5 (ग)	fu"dkl u [k.M	❖ पट्टा करार को निष्कासन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए।	❖ यदि भूमि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था तो पट्टा करार को निष्कासन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए।	❖ यदि भूमि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था तो पट्टा करार को निष्कासन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए।	❖ यदि भूमि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था तो पट्टा करार को निष्कासन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए।

Ø- l a	ēṣ	fn'kk&funḍ k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
		❖ पट्टे को सौपने के लिए कोई खण्ड नहीं ।	❖ पट्टे को सौपने के लिए कोई खण्ड नहीं ।	❖ इसी प्रकार, पट्टा करार को पट्टाधारी द्वारा अग्रिम में कम से कम 3 माह पूर्व नोटिस के अधीन पट्टे का परित्याग करने की व्यवस्था करनी चाहिए।	❖ इसी प्रकार, पट्टा करार को पट्टाधारी द्वारा अग्रिम में कम से कम 6 माह पूर्व नोटिस के अधीन पट्टे का परित्याग करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
5 (घ)	i VVs dk gLrkāj .k	❖ हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं था।	❖ हस्तांतरण को निम्नलिखित पर हस्तांतरिती की स्वीकृति के अधीन पूर्व सहमति के पश्चात स्वीकृत किया जा सकता है। (i) हस्तांतरण के समय एसओआर के अनुसार संशोधित पट्टा किराया का भुगतान करना (ii) मूल पट्टाधारी की सभी देयताओं का भुगतान करने पर सहमति । (iii) शेष पट्टा अवधि या एक वर्ष की पट्टा किराया अवधि जो भी अधिक हो, के लिए वर्तमान प्रीमियम तथा मूल प्रीमियम के बीच भिन्नता के 50 प्रतिशत का भुगतान करना।	❖ हस्तांतरण को निम्नलिखित पर हस्तांतरिती की स्वीकृति के अधीन पूर्व सहमति के पश्चात स्वीकृत किया जा सकता है। (i) हस्तांतरण के समय एसओआर के अनुसार संशोधित पट्टा किराया का भुगतान करना (ii) मूल पट्टाधारी की सभी देयताओं का भुगतान करने पर सहमति । (iii) शेष पट्टा अवधि या एक वर्ष की पट्टा किराया अवधि जो भी अधिक हो, के लिए वर्तमान प्रीमियम तथा मूल प्रीमियम के बीच भिन्नता के 50 प्रतिशत का भुगतान करना।	❖ यदि हस्तांतरणकर्ता पट्टे के हस्तांतरण पर हस्तांतरिती से प्रीमियम लेता है तो ऐसे प्रीमियम के 50 प्रतिशत का बंदरगाह को भुगतान किया जाना है। ❖ पट्टे का हस्तांतरण वहां स्वीकृत नहीं होगा जहां भूमि को नामांकन आधार पर या रियायती दर पट्टा किरा, पर ठेके पर दिया गया हो ।
5 (ङ)	vfxē jkf'k@ okṣ'kd Qhl ds vkekj ij i VV nuk	❖ निर्दिष्ट नहीं	❖ केवल अग्रिम राशि के आधार पर पट्टा देना। यदि, यह संभव नहीं था तो इसे वार्षिक फीस आधार पर किया जा सकता है।	❖ केवल अग्रिम राशि के आधार पर पट्टा देना। यदि, यह संभव नहीं था तो इसे वार्षिक फीस आधार पर किया जा सकता है।	❖ निर्दिष्ट नहीं ।

Ø- I a	eqs	fn'kk&funxk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
5 (च)	vukfek-r vfekxg.k	❖ ऐसा कोई खंड नहीं	❖ पट्टे की समाप्ति/जप्ती के पश्चात, कोई भी अनधिकृत अधिग्रहण प्रचलित एसओआर के अनुसार पट्टे किराए का तीन गुना मुआवजा लगेगा।	❖ पट्टे की समाप्ति या रद्द करने या निर्धारण के पश्चात, यदि पट्टाधारी अनधिकृत पट्टे का अधिग्रहण जारी रखता है तो उसे पट्टे किराए के तीन गुना मुआवजा प्रभार का भुगतान करना पड़ता है।	❖ पट्टे की समाप्ति या रद्द करने या निर्धारण के पश्चात, यदि पट्टा धारी अनधिकृत पट्टे का अधिग्रहण जारी रखता है तो उसे पट्टे किराए के तीन गुना मुआवजा प्रभार का भुगतान करना पड़ता है।
5 (छ)	I Hkh I j pukvka dks gVuk	❖ ऐसा कोई खंड नहीं	❖ पट्टाधारी से पट्टे की समाप्ति के तीन माह के अन्दर उसकी स्वयं की लागत पर सभी संरचनाओं को हटाने की अपेक्षा की जाती है।	❖ वही	❖ वही
6- nj eki Øe					
6 (ए)	vuøknũ ds fy, i kfekdkj	❖ यह नीति टीएमपी के गठन से पूर्व जारी की गई थी। पट्टा किराया मुख्य पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया गया था।	❖ सारी भूमि के लिए एसओआर टीएमपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	❖ सारी भूमि के लिए एसओआर टीएमपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	❖ बाजार तंत्र (निविदा एवं नीलामी विधि) पट्टा और लाइसेंस किराए का निर्धारण करेगी जहां निविदा एवं नीलामी आवंटन के लिए व्यवहार्य थी। अन्य मामलों में दर भूमि के बाजार मूल्य से छः प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6 (बी)	I a kkeku ds fy, vkofekdrk	❖ एसओआर को प्रत्येक पांच वर्षों पर संशोधित किया जाता है या यदि आवश्यक समझा जाए तो उससे पहले	❖ एसओआर को प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधित किया जाएगा।	❖ एसओआर को प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधित किया जाएगा।	❖ पट्टे पर भूमि आवंटित करते समय एसओआर को नवीनतम बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
6 (सी)	, I vksvkj dk vkekjk	❖ उल्लिखित नहीं	❖ एसओआर का निर्धारण प्रति वर्ष किराए के रूप में प्लॉट के बाजार मूल्य के छः प्रतिशत को लेकर किया जाता है	❖ एसओआर प्लॉट के बाजार मूल्य के छः प्रतिशत पर किया जाना चाहिए।	❖ भूमि के बाजार मूल्य के छः प्रतिशत आरक्षित मूल्य होगा जहां आवंटन के लिए निविदा एवं नीलामी व्यवहार्य थी अन्य मामलों में दर भूमि के बाजार मूल्य से छः प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6 (डी)	okfkd of)	❖ पट्टा किराया प्रति वर्ष उचित दर पर वृद्धि वहन करना और पांच प्रतिशत से कम नहीं	❖ पट्टा किराया को प्रति वर्ष उचित दर पर वृद्धि वहन करना और दो प्रतिशत से कम नहीं।	❖ पट्टा किराया को प्रति वर्ष उचित दर पर वृद्धि वहन करना और दो प्रतिशत से कम नहीं। एमबीपीटी के मामले में चार प्रतिशत पर वृद्धि।	❖ पोर्ट बोर्ड वार्षिक वृद्धि की एक दर निर्धारित करेगा जो दो प्रतिशत से कम नहीं होगी।

Ø- l a	eqs	fn'kk&funz k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
6 (ई)	, l vksvkj ij Hkfe ds m's; dk i Hkko	❖ उल्लिखित नहीं	❖ एसओआर में भूमि के उपयोग के उद्देश्य के अनुसार अन्तर	❖ एसओआर में भूमि के उपयोग के उद्देश्य के अनुसार अन्तर	❖ बाजार मूल्य अन्तिम उपयोग से संबंधित नहीं था।
6 (एफ)	vupknu ds fy, l e; l hek	❖ ऐसी कोई समय सीमा नहीं	❖ बोर्ड से प्राप्त किसी पूर्ण प्रस्ताव का 90 दिनों के अन्दर अनुमोदन करना चाहिए।	❖ ऐसी कोई समय सीमा नहीं	❖ पणधारकों के साथ परामर्श के बाद टीएएमपी को भूमि के बाजार मूल्य को प्रस्ताव की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर अधिसूचित करना चाहिए।
6 (जी)	l j {kk mi k;	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पट्टेदार को बंदरगाह को एक वर्ष का पट्टा किराया के बराबर प्रीमियम का भुगतान करना होगा ❖ पट्टेदार को वापसी योग्य जमा के रूप में एक वर्ष का पट्टा किराया के बराबर किराए की राशि जमा करनी होगी। ❖ पट्टे दार को 3 वर्षों के पट्टे किराए के बराबर की राशि अप्रति संहरणीय बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए 	❖ उल्लिखित नहीं	❖ उल्लिखित नहीं	❖ उल्लिखित नहीं
7.	dltk	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बंदरगाहों को कब्जे से बचने और भू सीमा की सीमाबंदी के लिए कदम उठाने होंगे। ❖ कब्जा न हटाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। ❖ जहां कहीं भी कब्जा होने की संभावना हो बंदरगाह को ऐसी भूमि का निपटान करने पर विचार करना चाहिए। 	❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।	❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।	❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।
8.	vfhkys[kka dk dEl; w/jhdj .k	❖ दिशा-निर्देश में इस संबंध में कुछ नहीं है।	❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।	❖ बंदरगाह को जिओग्रफिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित प्रणाली में पूरी भूमि प्रबन्धन को कम्प्यूटरीकृत करना चाहिए।	❖ नीति में यह पहलू कवर नहीं किया गया था।

vupak&2

[kkyh@0; Fkz Hkife dk fooj .k
%i gk 3-1-2 ns[kkz

({k= , dM+ e)

Ø- I a	cnj xkg	mi yCek dy Hkife	dy vkofVr@ iz qä Hkife %bl ea vfrØfer rFkk fookfnr Hkife 'kkfey g%	Hkkoh xfrfofek; ka l st@gfjr {ks= gsrq vkofVr Hkife	mi yCek [kkyh Hkife	'ks'k 0; Fkz dy Hkife	i Mh dy	fpflgr xfrfofek; ka	cnj xkgka dh fvfil .k; ka
1.	l h, pi hVh	688.55	606.76	0.00	81.79	81.79		चिन्हित नहीं	यह बताया गया था (जून, 2015) कि क्षेत्र भावी विकास के भाग के रूप में रखा गया था तथा तुरन्त उपयोग अभिकल्पित नहीं था
2.	ohvkd hi hVh	2774.63	2042.84	23.44	708.35	731.79		चिन्हित नहीं	यह बताया गया था (जून, 2015) कि, पत्तन नयी भूमि उपयोग योजना के अनुमोदन पर, जो अभी प्रक्रियाधीन थी, भावी विकास गतिविधियों के लिए खाली भूमि का उपयोग करेगा।
3.	l hvksi hVh	2188.53	1003.22	619.83	565.48	1185.31		चिन्हित नहीं	यह बताया गया था (जून, 2015) कि 62.77 एकड़ भूमि (23 प्लॉट) खाली पड़ी थी तथा इन प्लॉटों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे यद्यपि, उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार (दि. सन्बर, 2014) कुल खाली भूमि 565.48 एकड़ थी।
4.	, u, ei hVh	2352.00	1990.49	280.00	81.51	361.51		चिन्हित नहीं किया गया	कोई उत्तर नहीं
5.	di h, y	2785.59	696.66	2088.93	0.00	2088.93		चिन्हित नहीं किया गया	कोई उत्तर नहीं
6.	, echi hVh	1998.03	1806.45	0.00	191.58	191.58		चिन्हित नहीं किया गया	कोई उत्तर नहीं
7.	tş ui hVh	7380.00	1861.50	3790.00	1728.50	5518.50		सेज. IV, टर्मिनल, मरीन के केमीकल टर्मिनल, केन्द्रीय कार पार्किंग प्लाजा	कोई उत्तर नहीं

8.	, ei hVh	533.48	522.12	11.36	0.00	11.36	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया था (जून, 2015) कि खाली भूमि पहले ही गतिविधियों जैसे टैंक फार्म, कन्टेनर मालभाड़ा स्टेशन, कन्टेनर यार्ड तथा डिपो हेतु चिन्हित की गई थी।
9.	di hVh	31408.00	12842.44	13395.00	5170.56	18565.56	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया था (जून, 2015) कि सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने के पश्चात, जो प्रक्रियधीन है, खाली भूमि का उपयोग किया जाएगा।
10.	ds\ki hVh@ dMh, l	4576.00	3463.00	193.00	920.00	1113.00	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया कि (जून 2015) 306 एकड़ भूमि नवम्बर 2014 से पहले आंबटित की गई थी तथा 326 एकड़ टाउनशिप हेतु प्रस्तावित थी, एवं खाली भूमि (96.58 एकड़) आंबटित की जानी थी। तथापि, आंकड़ों ने 31 मार्च 2014 तक खाली स्थिति दर्शाई थी।
11.	ds\ki hVh@ , pMh l h	6367.00	4016.23	435.43	1915.34	2350.77	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया था (जून 2015) कि 1913.69 एकड़ पत्तन के अपने उपयोग हेतु थी।
12.	i hi hVh	6521.03	3804.43	1300.00	1416.60	2716.60	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया था (जून 2015) कि 700 एकड़ टाउनशिप हेतु तथा 600 एकड़ एमएमएलपी, एसडी डब्ल्यूपी, रेलवे इत्यादि हेतु चिन्हित की गई थी। तथापि, उत्तर खाली भूमि के उपयोग पर मौन था।
13.	ohi hVh	7618.30	6539.62	812.83	265.85	1078.68	भारतीय नौसेना सीएफएस, गोदाम, ट्रक पार्किंग इत्यादि	यह बताया गया था (जून 2015) कि उपलब्ध खाली भूमि पहले ही विभिन्न विकास गतिविधियों हेतु चिन्हित कर ली गई थी तथापि उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गयी खाली भूमि (265.85 एकड़) पर स्पष्ट नहीं था।
t kM+		77191.14	41195.76	22949.82	13045.56	35995.38		

vuyXucl&3

LORO foyshkka dh mi yGakrk
 Yai shk 3-1-4-1 ea l aAhkr½

Yaks= , dlm+ eak

Ø- l a	anj xkg dk uke	vfkdki ea dgy Hkfe	LORO foyshk	
			mi yGak	vui yGak
1.	sfirchpdi	688.55	1.63	686.92
2	sfisfipdi	2774.63	0.00	2774.63
3	sfisfipdi	2188.53	0.00	2188.53
4.	snrmpdi	2352.00	0.00	2352.00
5.	kepilal	2785.59	0.00	2785.59
6.	snrmpdi	7380.00	6177.00	1203.00
7.	snrmpdi	1998.03	1214.02	784.01
8.	kepdi	31408.00	28476.00	2932
9.	snrmpdi	533.48	412.48	121.00
10.	kefipdi / keziars	4576.00	0.00	4576.00
11.	kefipdi / snzisi	6367.00	5968.60	398.40
12.	kepdi	6521.03	0.00	6521.03
13.	kepdi	7618.30	0.00	7618.30
	dgy	77191.14	42249.73	34943.41
	shshat	100.00	54.73	45.27

not: koi shhsar nahi banaya gaya sh lokin lekhaprisht ko bandagan dar aakhe diye gaye the |

vugyXud&4

, l vksvkj dks iLrqr djus vksj vuqeknu ea foyEc
¼i jk 3-4-1 ea l nHkr½

Ø- l a	cnj xkg	, l vksvkj dk vfire l d kkeku	vyx l d kkeku ds fy; s fu; r frfFk	igys iLrko dh frfFk	i¼% iLrqrhdj.k	Vh, , ei h }kjk vuqeknu dh frfFk	uohure fLFkfr	foyEc dh vofek	Vh, , ei h }kjk vuqeknu dh vLoh-fr@ foyEc dk dkj.k
1	सीएचपीटी	मार्च 2000	मार्च 2003	2006	सितम्बर 2008; फरवरी 2013; अप्रैल 2014; अक्टूबर 2014	दिसम्बर 2014	अनुमोदित	नौ वर्ष और नौ माह	चेन्नै बंदरगाह ने 2002 में संशोधन प्रस्तुत नहीं किया चूँकि भूमि कार्य में अधिशेष स्थिति दिखाई। बंदरगाह ने 2009 और 2013 में भूमि के बाजार मूल्य के आकलन में एलपी दिशा-निर्देशों में निध. रित प्रणाली का पालन नहीं किया। बंदरगाह उपयोगकर्ताओं ने प्रस्ताव में वृद्धि का विरोध किया। बंदरगाह भूमि के बाजार मूल्य को पुनः मूल्यांकन करने के लिये सहमत हुआ। टीएएमपी ने अंतिम अनुमोदन तक एलपी के अनुसार वृद्धि लागू करने की अनुमति दी। एसओआर को भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तिथि से 15 दिन समाप्त होने के अंदर लागू होगा और पांच वर्षों के लिये लागू होगा और स्वतः ही समाप्त हो जायेगा यदि इसे प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया न जाये।
2	वीओसीपीटी	जुलाई 2002 से जून 07 तक ब्लॉक के लिये नवम्बर 2004	2007-12 ब्लॉक के लिये जुलाई 2007 और 2012-17 ब्लॉक के लिये जुलाई 2012	2007-12 ब्लॉक के लिये अप्रैल 2009 और 2012-17 ब्लॉक के लिये जून 2012	जनवरी 2012 और जून 2012	दोनों ब्लॉक के लिये अप्रैल 2014	अनुमोदित	छह: वर्ष और नौ माह	वीओसीपीटी ने मार्च 2011 में संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय पर प्रतिक्रिया नहीं की। टीएएमपी ने प्रस्ताव को वापस मान लिया। इसके अतिरिक्त समिति ने आगे के प्रस्ताव में एलपी के खण्ड 6.3.1.(ए) के अनुसार सिफारिश प्रस्तुत नहीं की। टीएएमपी ने पूर्वव्यापी रूप से 01.07.2009 और 2012 से अनुमोदित किया।

Ø- l a	cnjxkg	, l vksvkj dk vfre l d kkeku	vyx l d kkeku ds fy; s fu; r frffk	igys i Lrko dh frffk	i p% i Lrkdj.k	Vh, , eih }kj vupknu dh frffk	uohure fLFkr	foyEc dh vofek	Vh, , eih }kj vupknu dh vLoh-fr@ foyEc dk dkj.k
3	सीओपीटी	अक्टूबर 1996	अक्टूबर 2001		2006; जून 2007; अगस्त 2009 एवं फरवरी 2010	जून 2010	अनुमोदित	आठ वर्ष आठ माह	प्रेषित प्रस्ताव एलपी के अनुरूप नहीं थे। बंदरगाह प्राधिकरणों से बाजार मूल्य आधारित प्रस्तावों को तैयार करने के लिए कहा गया इसलिए 2003-2005 के बाजार मूल्य पर विचार किया गया था। बंदरगाह प्राधिकरण ने उसके द्वारा प्रस्तावित मूल्य पर विचार करने के लिए टीएमपी से अनुरोध किया क्योंकि मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार भूमि का मूल्य बंदरगाह मूल्य से कम था। एसओआर भारत के गजट में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के बाद प्रभावी हो जाएगा और जुलाई 2010 से जुलाई 2015 तक लागू रहेगा।
4.	एमपीटी	2000	2005	अगस्त 2004	दिसम्बर 2008 एवं जनवरी 2012	मई 2012	अनुमोदित	छह: वर्ष एवं छह: माह	2002 और 2006 के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि बंदरगाह ने एलपी दिशानिर्देशों का पालन किए बिना लागत जमा उपागम को अपनाया था। एसओआर भारत के गजट में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के बाद प्रभावी हो जाएगा और जून 2012 से जून 2017 तक लागू रहेगा।
5	एमबीपीटी (सीमा शुल्क अनुबंधित क्षेत्र, सीमा शुल्क अनुबंधित से बाहर का क्षेत्र एवं अनियमित पट्टेदार)	सितम्बर 2006	अप्रैल 2009	जनवरी 2009	अगस्त 2011	अक्टूबर 2011	अनुमोदित	दो वर्ष एवं छह:माह	टीएमपी ने दिसम्बर 2011 के बाद से दिसम्बर 2006-मार्च 2009 दरों को जारी रखने के लिए अधिसूचना (अक्टूबर 2011) दी। सीमाशुल्क अनुबंधित क्षेत्र से बाहर के संबंध में किराए में 2004 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और 2006 में स्पष्टीकरण के आधार पर चार प्रतिशत पर वृद्धि हुई थी। अनियमित पट्टेदारों के संबंध में जनवरी 1986 के बाद से दरों में संशोधन नहीं किया गया था।

Ø- l a	cnj xkg	, l vksvkj dk vfire l d kkeku	vyx l d kkeku ds fy; s fu; r frffk	igys i Lrko dh frffk	i q% i Lrhdj.k	Vh, , ei h }kjk vupeknu dh frffk	uohure fLFkfr	foyEc dh vofek	Vh, , ei h }kjk vupeknu dh vLoh-fr@ foyEc dk dkj.k
6	जेएनपीटी	अन्तिम संशोधन 1997 में हुआ तथा अन्तिम मूल्य सुनिश्चित नहीं और प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है।							
7 (क)	केपीटी (ए से जी श्रेणी)		जुलाई 1999 से दिसम्बर 2003, जनवरी 2004-दिसम्बर 2008 और जनवरी 2009 से दिसम्बर 2013		अप्रैल 2010	मार्च 2011		ब्लॉक 1999 से 2003 के लिए 11 वर्ष एवं 10 माह, ब्लॉक 2004 से 2008 के लिए सात वर्ष एवं चार माह, दो वर्ष एवं चार माह	टीएएमपी की आवश्यकताओं को स्वीकार करने में विलंब। सभी तीन आदेशों में कार्यान्वयन पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ किया गया था।
		मार्च 2011	दिसम्बर 2013	जून 2011		जनवरी 2014 से दिसम्बर 2018 के लिए नवम्बर 2014	अनुमोदित	10 माह	बंदरगाह उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं बंदरगाह प्राधिकरण को उनके दृष्टिकोण को समझने हेतु बताया गया था। बंदरगाह प्राधिकरण ने उत्तर दिया कि भूमि नीति 2014 और आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए प्रस्तावों में इसे संशोधित नहीं किया गया था।
7 (ख)	केपीटी लवणीय भूमि	जुलाई 1994	जुलाई 1999			2006	अनुमोदित		टीएएमपी ने अन्य भूमियों हेतु प्रस्तावों सहित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की सलाह दी। बंदरगाह प्राधिकरण टीएएमपी निदेश के अनुसार प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया। तथापि, सरकार ने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने हेतु जोर दिया था। बंदरगाह प्राधिकरण ने लवणीय भूमि के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।
		जनवरी 2006	जुलाई 2010	फरवरी 2011		अप्रैल 2012	अनुमोदित	एक वर्ष एवं 10 माह	केपीटी ने छोटे भूखण्डों के लिए जुलाई 2010 में की गई नीलामी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को अपनाया। बंदरगाह उपभोक्ताओं ने आपत्ति की कि ऐसी दरें बड़े क्षेत्रों के लिए उचित होंगी। टीएएमपी ने बड़े आकार के भूखण्डों हेतु नीलामी और उचित बाजार मूल्य निगमित करने की सलाह दी। केपीटी ने अनुरोध किया कि प्रभाव जुलाई 2010 से पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ दिया जाएगा।

Ø- l a	cnjxkg	, l vks/kj dk vfire l d kksku	vyy l d kksku ds fy; s fu; r frffk	igys i Lrko dh frffk	i q% i Lrqhdj.k	Vh, , eih }kjk vupknu dh frffk	uohure fLFkr	foyEc dh vofek	Vh, , eih }kjk vupknu dh vLoh-fr@ foyEc dk dkj.k
									आदेश को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ दिया गया था। इसके अतिरिक्त आदेश की अनुप्रयोग्यता को मार्च 2011 तक विस्तारित किया गया था। इसलिए, अपनाई गई दर व्यवस्थित थी।
	केपीटी (गांधीधाम टाऊनशिप)		जनवरी 2014	.	.	विस्तारण दिया गया			मौजूदा आदेश ब्लॉक जनवरी 2009 से दिसम्बर 2013 के लिए मई 2012 में लागू हुआ था। इसे 30 जून 2015 तक या एसओआर के संशोधन को अंतिम रूप देने तक जो भी पहले हो विस्तारित किया गया था। अंतिम रूप दिए जाने तक मौजूदा आदेश को लागू करने हेतु विस्तारण दिया गया था।
8	वीपीटी	ब्लॉक 1998 से 2003 और 2003 से 2008 के लिए 19 जनों हेतु अप्रैल 2008 इन्हीं दो ब्लॉकों के लिए शेष 12 जनों हेतु नवम्बर 2010	ब्लॉक 2008-13 के लिए अप्रैल 2008	नवम्बर 2011	.	जून 2012	अनुमोदित	चार वर्ष एवं एक माह	भूमि के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण प्राप्त करने में विलंब
9	एनएमपीटी	फरवरी 2002 से फरवरी 2007 ब्लॉक के लिए जनवरी 2005 2012-17 ब्लॉक के लिए जून 2010	2007-12 ब्लॉक के लिए फरवरी 2007 जून 2012	मार्च 2007	नही	जून 2010 मई 2014	अनुमोदित अनुमोदित	तीन वर्ष और तीन महीने एक वर्ष और सात महीने	मूल्यांकन रिपोर्ट जुलाई 2009 में प्रस्तुत की गई थी टीएमपी ने जुलाई 2007 से अतीतलक्षी ढंग से लागू करने की स्वीकृति दी। गतावलोकी प्रभाव से अनुमोदित

Ø- l a	cnj xkg	, l vksvkj dk vfire l d kkeku	vyx l d kkeku ds fy; s fu; r frffk	igys i Lrko dh frffk	i q% i Lr qhdj .k	Vh, , ei h }kj vupknu dh frffk	uohure fLFkfr	foyEc dh vofek	Vh, , ei h }kj vupknu dh vLoh-fr@ foyEc dk dkj .k
10	केओपीटी / केडीस / एचडीसी	अक्टूबर 1999 (दो वर्षों के अंतरित आदेश के लिए)	अक्टूबर 2001	सितम्बर 2005	दिसम्बर 2009	जनवरी 2011	अनुमोदित	10 वर्ष और दो महीने	हाल ही के भूमि मूल्यांकन को देखने और संशोधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए बंदरगाह प्राधिकरण ने टीएएमपी को पिछले प्रस्तावों को बंद करने का अनुरोध किया
11	पीपीटी	अप्रैल 2005	अप्रैल 2010	मई 2012	सितम्बर 2014 और नवम्बर 2014	प्रक्रियाधीन	.	आठ वर्ष	प्रस्ताव भेजने पर मंत्रालय ने अगस्त 2012 में नई एलपी दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा करने और एसओ. आर को अंतिम रूप देने के लिए तदनुसार प्रणाली अपनाने की सलाह दी।

- एमबीपीटी के मामले में मई 2000 से दिसम्बर 2014 तक और जेएनपीटी के मामलों में अप्रैल 1998 से नवम्बर 2014 तक दूढ़े जाने पर टीएसएमपी वेबसाई में प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का डाटा और अनुमोदन जैसे विवरण उपलब्ध नहीं थे।